राजस्थान विधान सभा

चतुर्थ सत्र

कार्य-सूची

सोमवार, दिनांक 06 अप्रेल, 2015

बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. शोकाभिव्यक्ति

श्री थेनफुंगा सेलो, पूर्व मुख्यमंत्री, मिजोरम के निधन पर शोक प्रकट किया जायेगा एवं श्रद्धांजलि अर्पित की जायेगी।

3. कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार

श्री कालूलाल गुर्जर, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के सोलहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि -

"यह सदन कार्य सलाहकार समिति के सोलहवें
प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।"

4. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

(I) राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य, विधान सभा, नगर परिषद क्षेत्र, पाली में सहकारी समितियों द्वारा पट्टा जारी करने में की गई कथित अनियमितता एवं नगर परिषद में लम्बित पट्टा पत्रावलियों के संबंध में स्वायत्त शासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(II) राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-131 के अन्तर्गत श्री पब्बाराम, श्री कैलाश वर्मा एवं श्री झाबर सिंह खर्रा, सदस्य, विधान सभा, जयपुर विकास प्राधिकरण के अभियांत्रिकी एवं विधिक शाखा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कथित रूप से आपसी मिलीभगत कर जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमि को खुर्दबुर्द करने के संबंध में नगरीय विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

5. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

अधिसूचनायें

श्री राजपाल सिंह शेखावत, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, वित्त एवं आबकारी विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखेंगे:-

(I) वित्त विभाग

अधिसूचना संख्या:प.12(23)वित्त/कर/2015-241 दिनांक 31 मार्च, 2015 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:प.12(59)वित्त/कर/2014-18 दिनांक 14 जुलाई, 2014 में संशोधन किया गया है, जो 01 अप्रेल, 2015 से प्रभावी होगी।

जारी..2..

(II) आबकारी विभाग

1- अधिसूचना संख्या: प.4(1)वित्त/आब/2015-पार्ट-I दिनांक 1.4.2014 जिसके द्वारा देशी मदिरा समूह के अनुज्ञाधारियों को, जिन्होंने मासिक एक्सक्लूजिव प्रिवीलेज रकम की किश्त का 105 प्रतिशत से अधिक आबकारी शुल्क निक्षिप्त करा दिया है तो मासिक एक्सक्लूजिव प्रिवीलेज रकम की किश्त की पूर्ति में उठाई जाने वाली देशी मदिरा की मात्रा में 105 प्रतिशत से अधिक जारी की गई देशी मदिरा की मात्रा पर आबकारी शुल्क के संदाय से 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है;
2- अधिसूचना संख्या: प.4(1)वित्त/आब/2015-पार्ट-I दिनांक 1.4.2015 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: प.4(17)वित्त/आब/2004 दिनांक 1.4.2005 में संशोधन किया गया है;
3- अधिसूचना संख्या: प.4(1)वित्त/आब/2015-पार्ट-I दिनांक 1.4.2015 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया है;
4- अधिसूचना संख्या: प.4(1)वित्त/आब/2015-पार्ट-I दिनांक 1.4.2015 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी (ग्रान्ट ऑफ रेस्टोरेन्ट बार लाइसेंसेज) नियम, 2004 में संशोधन किया गया है; एवं
5- अधिसूचना संख्या: प.4(1)वित्त/आब/2015-पार्ट-I दिनांक 1.4.2015 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी (ग्रान्ट ऑफ होटल बार/क्लब बार लाइसेंसेज) नियम, 1973 में संशोधन किया गया है;

6. याचिका का उपस्थापन

श्री शंकर लाल शर्मा, सदस्य, विधान सभा, दौसा शहर में गुप्तेश्वर एवं सोमनाथ चौराहे से आगरा हाईवे तक सड़क को चौड़ा करने एवं दोनों तरफ नाले का निर्माण कराने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

7. वित्तीय कार्य

अतिरेक मांगें वर्ष 2011-2012 पर मतदान एवं पारण

अतिरेक मांगें वर्ष 2011-2012 मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान हेतु प्रस्तुत की जाएंगी।

8. विधायी कार्य

विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण

राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2015

(I) श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी:-

राजस्थान विनियोग(संख्या-4) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्या-12)

"31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2011-2012 की सेवाओं के लिये राज्य की समेकित निधि में से उन सेवाओं और उस वर्ष के लिये स्वीकृत रकमों के अतिरिक्त कतिपय और राशियों के विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिये विधेयक।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगी।

(III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(IV) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय।

जारी..3..

9. विधायी कार्य

(अ) पुर:स्थापित किया जाने वाला विधेयक

राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण विधेयक, 2015

(I) श्री यूनुस खान, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे:-

राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण विधेयक, 2015
(2015 का विधेयक संख्या-22)

"अधिसूचित बस टर्मिनलों पर सुविधाओं के सृजन, विकास और प्रचालन के लिये और राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण के गठन के लिये और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने के लिये विधेयक।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(ब) विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

(I) राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2015

(I) श्री राजेन्द्र राठौड़, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय:-

राजस्थान सिविल न्यायालय(संशोधन) विधेयक, 2015
(2015 का विधेयक संख्या-7)

"राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

(II) महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर (संशोधन) विधेयक,2015

(I) श्री प्रभुलाल सैनी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय:-

महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर (संशोधन) विधेयक, 2015
(2015 का विधेयक संख्या-9)

"महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर अधिनियम, 2000 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

जारी..4..

(III) राजस्थान विशेष आर्थिक जोन विधेयक, 2015

राजस्थान विशेष आर्थिक जोन विधेयक, 2015
(2015 का विधेयक संख्या-14)

(I) श्री गजेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय:-

"उद्यमों के त्वरित और सुव्यवस्थित स्थापन, वृद्धि और विकास में अभिवृद्धि और सहायता करने के लिये राज्य में विशेष आर्थिक जोनों के स्थापन, रख-रखाव, प्रबंध और प्रशासन के लिये उपबंध करने और ऐसे विशेष आर्थिक जोनों में विनिधान आकृष्ट करने और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिये विधेयक।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

पृथ्वी राज
विशिष्ट सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर ।
दिनांक : 01 अप्रेल, 2015